Urgent
E-Mail

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकःएफ.3(1)(7)निर्वा/2014/6622 जयपुर, दिनांकः 28-4-14

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति
1. मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार,
जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त प्रमुख/शासन सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर्स), राजस्थान।

विषय : लोकसभा आम चुनाव 2014 – आदर्श आचार संहिता के प्रतिबंधों में आंशिक शिथिलता बाबत।

प्रसंग भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 437/RJ-HP/2014/NS-I दिनांक 26.04.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के संलग्न प्रासंगिक पत्र के द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों में आंशिक शिथिलता प्रदान की गई है। इसके अनुसार पुनर्मतदान वाले जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में सामान्य प्रशासनिक कार्य एवं विकास गतिविधियाँ की जा सकती हैं, किन्तु निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक निम्नानुसार प्रावधान लागू रहेंगे :-

1. निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के साथ मंत्रीगणों या दूसरे अन्य राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा समीक्षात्मक बैठकें आयोजित नहीं की जा सकेंगी।
2. निर्वाचन से जुड़े अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थान नहीं किया जा सकेगा।
3. राजकीय विश्राम भवनों/गेस्ट हाऊस में आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों/निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को आवास उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,
28/4
(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःएफ.3(1)(7)निर्वा/2014/ जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि अतिरिक्त मुख्य सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर को दी जाकर लेख है कि अपने स्तर से आयोग के उपरोक्त निर्देशों से समस्त माननीय मंत्रीगणों को अवगत करावें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

3.11 PM

ECI Email

26.04.14

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली -110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

No.437/RJ-HP/2014-NS-I **Dated: 26th April, 2014**

To

1. The Chief Secretary,
   Rajasthan, Jaipur.

2. The Chief Electoral Officer,
   Rajasthan, Jaipur.

Subject: **General Election to Lok Sabha, 2014 – Partial relaxation of restriction on regular administrative work/development work of the State Government.**

Sir,

I am directed to state that in the State of Rajasthan, where polling has been completed, the Commission has decided that all normal administrative work/development activities of the State of Rajasthan may now be taken up, except in such districts where re-poll, if any, is pending.

However, no officials connected with the conduct of elections can be transferred till the entire election process is completed and no review meetings can be held by the Ministers or any other political functionaries with the election related officials.

Yours faithfully,

(SHANGARA RAM)
PRINCIPAL SECRETARY

Tel : 011-23717391, Fax : 011-23713412, **Website** : www.eci.nic.in

Greater participation for a stronger democracy